



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1054/अकादमी/संबद्धता/16
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19.5.16

प्राचार्य

अशासकीय

~~मदन महाराज महाविद्यालय (50)~~

~~मधु बाबलामंडी करोंड भोपाल~~

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक
दिनांक 13-05-2016 एवं कुलपतिजी द्वारा
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4)
के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमोदन के परिपालन में
संबद्धता की अस्थायी निरन्तरता सत्र 2016-17

विषय:- सत्र 2016-17 में स्थाई/अस्थायी संबद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.05.2016 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थायी निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. BCA(III) (60seat) B.Com(III) Plain & Com App. (150seat)
2. BBB (I,II,III) MSc.(P/F) Com.Sc. (25 Seat)
(60seat)
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2017-18 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम 27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा ।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा ।
6. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2016 तक पूर्ण कर प्रस्तुत करनी होगी ।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जबाबदारी महाविद्यालय प्रबंध की होगी ।
8. जिन महाविद्यालय में कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थायी संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा ।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी
भोपाल, दिनांक 19.5.16

पू० क्रमांक 1055/अकादमी/संबद्धता/16
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ ।

विश्वविद्यालय परिनियम 27 व 28 तथा अन्य निर्देशों एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन ना होना पाये जाने पर अस्थायी सम्बद्धता / निरन्तरता स्वयं निरस्त मानी जायेगी

उप-कुलसचिव, अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रं. 1987/अका./संभ./2015

भोपाल, दिनांक 19/5/15

प्रति,

प्राचार्य,
Madan Mahadevi college
New Gaikamwali, Hazrat
Bhopal

विषय:- सत्र 2015-16 में प्रदत्त स्थाई/अस्थायी सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान करने विषयक।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 01/05/2015 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की ओर से कुलपति के प्रदत्त अधिकार 15(4) में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की स्थाई/अस्थायी संबद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। :-

1. B.A. - 60 seats
2. B.com - All comp. sub. + Computer Appl.
3. B.B.A - 60 seats
4. M.Sc.F - Comp. Sci. (25 seats)
5. /
6. /
7. /
8. /

शर्तें :-

1. आपको प्रदत्त अस्थायी संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2016-17 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ 31.03.2016 तक आवेदन करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत 3 माह में पूर्ण करनी होगी।
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

नोट: जिन महाविद्यालयों में कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं की है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थायी संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव (अकादमी)
भोपाल, दिनांक 19/5/15

पृ० क्रमांक: 1988/अका./संभ./2015

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)